


23/12/22

आवली पेश हुई पीठासन अधिकारी
बाद में रोक रखा है। नुकसान न होने
कार्य स्थगित कर दिया है अतः पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 23/12/22 को पेश हो।

24/12/22

लाही एवं वकील लाही उपर नहीं
आए- बर आवाजे दिलायी गई।
फिर कोई उपर नहीं आया। ऐसी
स्थिति में दावा लाही उपर हाजरी
एवं उपर पेशी में स्थापित किया
जाता है। पत्रां कारित्व प्रस्त
है।


उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)